

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में

उप श्रम आयुक्त-1,
गुरुग्राम।

क्रमांक: 11293

दिनांक: 27-4-17

विषय:- श्रम विभाग, हरियाणा से स्थानांतरण आधार पर उपायुक्त कार्यालय में मर्ज होने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि श्रीमति निशा यादव, लिपिका को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार से प्राप्त मंत्रणा व माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा महोदय की स्वीकृति अनुसार उपायुक्त, झज्जर के कार्यालय में समावेश हेतु समक्ष प्राधिकारी द्वारा उक्त कर्मचारी का पुनर्ग्रहणाधिकार श्रम विभाग से समाप्त करते हुए उपायुक्त, झज्जर में उन द्वारा दर्शाई गई सामान्य नियमों व शर्तों अनुसार नियमित रूप से समायोजित हो सकती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. इस स्थानांतरण का आरक्षण निति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2. कर्मचारी एडहाक पर ना हो तथा उसकी नियुक्ति स्थाई हो।
3. उसके विरुद्ध नियम-7 व 8 की कोई विभागीय कार्यवाही तथा क्रिमिनल केस लम्बित न हो।
4. इस स्थानांतरण पर कोई टी.ए./डी.ए. नहीं मिलेगा।
5. पिछले कार्यालय में की गई सेवा का लाभ इस कार्यालय में वरिष्ठता की ओर नहीं मिलेगा।

उपरोक्त शर्तों को मानने बारे शपथ पत्र सहित उपायुक्त, झज्जर के कार्यालय में उपस्थित रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय देनी होगी।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त(प्रशा0)
कृते: श्रम आयुक्त हरियाणा।

पृष्ठाकांन क्रमांक: स्था0/03/2017/11274-75- दिनांक: 27-4-17

1. पत्र की प्रति श्रीमति निशा यादव, कार्यालय उप श्रम आयुक्त-1, गुरुग्राम को भेजकर सूचित किया जाता है कि आप उक्त कार्यालय के कार्यभार से मुक्त होकर उपायुक्त, झज्जर के कार्यालय में सामान्य नियमों व शर्तों अनुसार नियमित रूप से समायोजित हो सकती है।

2. पत्र की प्रति उपायुक्त, झज्जर को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 527-30 दिनांक 05.04.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त(प्रशा0)
कृते: श्रम आयुक्त हरियाणा।